Rs. 10/-

श्री कपिल यादव
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 7-8-2014
को प्रस्तुत

500/07.08.2014

अधीक्षक

राजस्व पुनरीक्षण क्र०   /२०१४

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

R-2803-PBR/14

प्रार्थी -- श्रीमती दमयन्तीबाई कुशवाह पति रामलाल कुशवाह
निवासी राजनगर सेक्टर एक, म०नं० ८०,
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

वि रू द्ध

प्रतिप्रार्थीगण -- १- महावीर पिता रामदीन कुशवाह
निवासी राजनगर सेक्टर एक म०नं० ३१७
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

२- बुधलाल पिता रामदीन कुशवाह
निवासी राज नगर सेक्टर एक म० नं० २५०
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

३- जगरूप पिता रामदीन कुशवाह
निवासी राज नगर सेक्टर एक म०नं० ५५५
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

४- मोहनलाल पिता रामदीन कुशवाह
निवासी राज नगर सेक्टर एक म०नं० ५१,
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

५- रामपाल पिता रामदीन कुशवाह
निवासी राज नगर सेक्टर एक म०नं० ३१५
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

६- रामलाल पिता रामदीन कुशवाह
निवासी राज नगर सेक्टर एक म०नं० ८०,
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण - नामान्तरण बाबद

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता -

तहसीलदार, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रोसीडिंग प्रकरण क्रमांक ५अ-६/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ०७/०७/२०१४ से असन्तुष्ट एवम् दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न

23.8.14

--२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 2803–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–7–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की वर्तमान में क्या स्थिति है, स्टे है अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 39 (1) (2) का आवेदन पत्र निरस्त हुआ है । प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ है, इसलिये कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया है कि जिस वसीयतनामें के आधार पर प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रचलित है, उसी के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण संचालित है, जिसका निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाना है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश तहसीलदार सहित पक्षकारों पर बंधनकारी है ।	

इसलिये तहसीलदार द्वारा कार्यवाही आगे जारी रखना न्यायोचित नहीं है । उक्त आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि मात्र व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, जब तक कि व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं दिया गया हो । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष